748
E.a.m.

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

रॉंची, दिनांक–...............................

संचिका संख्याः–8/आरोप–01/2021 का०........................../झारखण्ड सचिवालय सेवा के **श्री आशीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रॉंची (सम्प्रति–निलम्बित)** के विरूद्ध कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रॉंची के पत्रांक–2237 दिनांक–13.12.2021 द्वारा बिना किसी सूचना के अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहने तथा मुख्यालय स्थापना एवं पेंशन से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण संचिकाओं को लम्बे समय से लम्बित रखने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए साक्ष्य सहित आरोप–पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–152 दिनांक–12.01.2022 द्वारा श्री कुमार से आरोप के सम्बन्ध में बचाव–बयान की मॉंग की गई तथा विभागीय पत्रांक–2215 दिनांक–07.04.2022 द्वारा इन्हे स्मारित भी किया गया। परन्तु श्री कुमार द्वारा आरोप के सम्बन्ध में कोई बचाव–बयान समर्पित नहीं किया गया।

3. श्री कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप–पत्र में गठित आरोपों की जॉंच हेतु विभागीय आदेश संख्या–3585 दिनांक–10.06.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–17 के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया ।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–35 दिनांक–01.02.2023 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जॉंच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें आरोपी पदाधिकारी के द्वारा समर्पित बचाव बयान को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

5. श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉंच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के सम्बन्ध में निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

i. विभागीय संचालन–सह–जॉंच पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री आशीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड (सम्प्रति–निलंबित) के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(iv) के तहत 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि का रोक' का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

ii. श्री कुमार को निलंबन अवधि में जीवन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि पेंशन एवं अन्य वित्तीय लाभों के लिए की गणना की जायेगी।

iii. श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

6. श्री आशीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, रॉंची (सम्प्रति–निलम्बित) के सम्बन्ध में उपर्युक्त निर्णय लेते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(गुलाम सरवर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 8/आरोप–01/2021 का०................../ राँची, दिनांक......................

प्रतिलिपि :– सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/निदेशक, कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची/श्री आशीष कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची (निलम्बन अवधि में मुख्यालय–कृषि निदेशालय, झारखण्ड, राँची, स्थायी पता :– पिता – राज किशोर सिंह, ग्राम–सेमरिया टाँड, पोस्ट–लातेहार स्टेशन, लातेहार, झारखण्ड) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 8/आरोप–01/2021 का० 2795/ राँची, दिनांक 16/05/2023

प्रतिलिपि :– ई–नोडल पदाधिकारी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.05.23

सरकार के अवर सचिव।